



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

**Environmental Planning & Coordination Organization**

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : [mpseiaa@gmail.com](mailto:mpseiaa@gmail.com)

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 340 /SEIAA/22

Date: 10/5/22

प्रति,

मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज़,,  
प्रोपराईटर, श्री आनंद ताम्रकार, निवासी - जी 7,8  
दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र)

विषय: प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/258796/2022** - प्रकरण क्रमांक 8110/2021 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्रा.लि. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला, निवासी ताल दरवाजा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.), रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 22000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 656, ग्राम अजितपुरा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज़, प्रोपराईटर, श्री आनंद ताम्रकार, निवासी - जी 7,8 दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 720वी बैठक दिनांक 05.05.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

SEIAA की 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में Close किये गये रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेन्च के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit/Re-open कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 22000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 656, ग्राम अजितपुरा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्रा.लि. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला, निवासी ताल दरवाजा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर के पत्र क्र. 538 दिनांक 18.02.2022 द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्रा.लि. श्री रविन्द्र सिंह बुन्देला, निवासी ताल दरवाजा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) के पक्ष में नवीन परियोजना

- प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर, श्री आनंद ताम्रकार, निवासी - जी 7,8 दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर, श्री आनंद ताम्रकार, निवासी - जी 7,8 दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 6629/एसईआईएए/2021 दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
  - IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
  - V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।
  - VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 481 दिनांक 17.02.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।
  - VII. जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 1001 दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।
  - VIII. जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्र. 902 दिनांक 05.04.2022 द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र में उपलब्ध रेत की मात्रा के संबंध में स्थल निरीक्षण का मौका पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण पत्र क्र. 6629/एसईआईएए/21 दिनांक 18.02.2021 के माध्यम से मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्रा.लि. श्री सुनील गुप्ता, निवासी एम.टी.सी. बी-8, बी-9, पनकी, औद्योगिक क्षेत्र, साईट नं. 3, कानपुर (यूपी) के नाम पर रेत खदान, रकबा 4.0 हे., उत्पादन क्षमता 22000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 656, ग्राम अजितपुरा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पुष्पा इन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर, श्री आनंद ताम्रकार, निवासी - जी 7,8 दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.02.2021 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 22000 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 22000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 22000 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 22000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 22000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- iii. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.02.2021 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- v. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
- vi. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।




(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

क्र.. 341 / SEIAA / 2022 भोपाल  
प्रतिलिपि :-

दिनांक 10/5/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. मेसर्स आनंदेश्वर एग्रो फूड्स प्रा.लि. श्री रवीन्द्र सिंह बुंदेला, निवासी ताल दरवाजा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी